2021/92

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री हंजारीमल पुत्र श्री तेजाराम जाति माली निवासी मालियों का अरठ, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही। श्रीमती सीतादेवी पत्नि श्री हंजारीमलजी जाति माली निवासी मालियों का अरठ, मालीपुरा तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रजनन या निर्यात का विनियमन), अधिनियम 1995**

मुकदमा नं. 08 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.05.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रजनन या निर्यात का विनियमन), अधिनियम, 1995 की धारा 3/8 के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना मण्डार जिला सिरोही के सी. आर. नं. 27 दिनांक 24.02.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का महिन्द्रा 475 DI XP PLUS नम्बर आरजे 24 आरए 8944 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 21.05.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 24.02.2021 को वक्त 8.30 ए.एम. पर श्री कानाराम पुत्र श्री भलाराम कोली निवासी मालीपुरा ने मोबाईल पर सूचना दी की कुषमा रामचन्द्रजी ओरण में एक नंदी मरा हुआ पडा है, जिसे किसी ने बिजली का करंट देकर मारकर [illegible] गया है, जिसके निशान भी है। उक्त [illegible] श्री भंवरलाल पुत्र श्री हेमाराम [illegible] पुत्र [illegible] सरपंच श्री पीराराम मेघवाल, श्री [illegible] माली श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री [illegible] एवं श्री सुरताराम पुत्र श्री भगवानाराम कोली सहित [illegible] ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे। जहां नंदी डेयरी के पास मृत अवस्था में पडा जिसके पैरों में पतला एक तार भी था जिससे उसके करंट लगने से मौते होने का पता चलता है तथा वहां से ट्रेक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के निशान भी थे। निशान जिरो नंदी खींचकर लाया उसके सहारे प्रार्थी एक कुंए तक गए जहां निशान खत्म होते है। कुंआ श्री तेजाराम पुत्र श्री रामजीराम का था। श्री तेजाराम ने रात को नंदी आने तथा उसके पुत्र श्री हंजारी तथा श्री धनाराम ने बिजली के मीटर से तार जोडकर करंट प्रवाह करने का कहा तथा नंदी करंट से मरना बताया जिसे अपने ट्रेक्टर से श्री हंजारी ने बांधकर ओरण में डाला है। उक्त लोग पहले भी गायों एवं नंदीयों को तेज धारदार कुल्हाडियों से वार कर घायल कर चुके है। उपरोक्त नंदी को श्री तेजाराम, श्री हंजारीराम व श्री धनाराम ने बिजली का करंट देकर मारा एवं ट्रेक्टर से खींचकर ओरण में डालकर जघन्य अपराध किया है। सम्पूर्ण अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से श्री धनाराम व श्री हंजारीमल के विरूद्ध जुर्म धारा 429 भादस. एवं 3/8 राज. गौ वंश अधि. का अपराध प्रमाणित पाया जाता है। अतः धारा 429 भादस. एवं 3/8 राज. गौ वंश अधि. का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिया के स्वामित्व के वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 24 आरए 8944 को पुलिस थाना मण्डार के अनुसंधान अधिकारी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी के उक्त वाहन की पुलिस अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वाहन पुलिस थाना में पडा–पडा खराब हो रहा है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपूर्दगीनामे पर प्राप्त करना चाहता है, इस हेतु प्रार्थी अपना सुपूर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार है।

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा पहले भी गायों एवं नंदीयों को तेज धारदार कुल्हाडियों से वार कर घायल कर चुके है एवं उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नंदी को करंट से मार कर एवं ट्रेक्टर से खींचकर ओरण में डालकर जघन्य अपराध किया है, जो धारा 429 भादस. एवं 3/8 राज. गौवंश अधिनियम 1995 [illegible] अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन को कब्जे [illegible] गया है, प्रकरण का अनुसंधान जारी है । ऐसी स्थि[illegible] वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । [illegible] पुलिस रेवदर द्वारा थाना मण्डार के [illegible] दिनांक 24.02.2021 के अन्तर्गत धारा 3/8 राज. गौ[illegible] अधिनियम में महिन्द्रा 475 DI XP PLUS नम्बर आरजे 24 आरए 8944 को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डार के एफ आई आर क्रमांक 27 दिनांक 24.02.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा 475 DI XP PLUS नम्बर आरजे 24 आरए 8944 वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन को रूपये 7,50,000/-(अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपए) की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने के आदेश दिए जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डार को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner